

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट**

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 432 / 2ई०

दिनांक 27 / 02 / 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10468/2015)

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं० 804/x-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12.अगस्त. 2016।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र. सं.	अधिरोपित भात	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.94 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.94 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 8,19,275.00 मात्र (रू० आठ लाख उन्नीस हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN819089975714 Dtd 30.03.2019 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न-01) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.94 है० ग्राम बदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 55/छब्बीस- वन/2016-17 दिनांक 25.11.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(संलग्नक:-02)
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु

<p>एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को ध्यान में रखकर) जमा करने हेतु यथा संसोधित) जमा की जायेगी।</p>	<p>12,53,481.00 मात्र (रु० बारह लाख तिरपन हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN819089975714 Dtd 30.03.2019 द्वारा किया जा चुका है।</p>
<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>एन०पी०वी० की धनराशि UTR No. SBIN8190 8997 5714 Dtd 30.03.2019 द्वारा रु० 9,65,790.00 मात्र (रु० नौ लाख पैसठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न 01 के अनुसार)।</p>
<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बढ़ता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन०पी०वी की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा कर दी गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)(संलग्न-3)</p>
<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/195 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय, के लेखा संख्या-एस०बी०-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशि का विवरण दिया गया हो) संतुष्ट कराये जाने के पश्चात ही निर्गत प्रतीकृति मान्य होगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है (संलग्न 01 के अनुसार)।</p>
<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों में भू-वैज्ञानिकों के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिकों के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।</p>

एजेसी के द्वारा वन अधिका
र 2006 के अन्तर्गत आवश्यक
खा/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया
ना होगा।

प्रयोक्ता एजेसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के आवश्यक
अभिलेखा/प्रमाण संलग्न किया गया है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी
भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने
अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की
स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन
विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का
अधिकार सुरक्षित है।

बिन्दु संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेसी सहमत है।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में
विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

बिन्दु संख्या 09 हेतु प्रयोक्ता एजेसी को मान्य है।

संलग्न-तीन प्रतियों में

भवदीय,

(इ० अमित कुमार पटेल)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,

पत्रांक 432 / 2ई०

दिनांक 27 / 02 / 2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता द्वितीय लो०नि०वि० कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

कपकोट

Ch

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०- 05963-220249 फैक्स नं०- 05963-220209

पत्रांक 4974 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक 09/3/2026
सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहसदून।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10468/2015)

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं० 804/स-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12.अगस्त.2016।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.94 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु पथसशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत नानी जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.94 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 8,19,275.00 मात्र (रू० आठ लाख उन्नीस हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN819089975714 Dtd 30.03.2019 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न-01) साथ ही क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वधनित भूमि 2.94 हे० ग्राम नदियाकोट, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० 55/छबीस- वन/2016-17 दिनांक 25.11.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(संलग्नक-02)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पट्टे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वतन दरों को समाहित करने हेतु यथा ससोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पट्टे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु 12,53,481.00 मात्र (रू० बारह लाख तिरपन हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN819089975714 Dtd 30.03.2019 द्वारा किया जा चुका है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० की धनराशि UTR No. SBIN819089975714 Dtd 30.03.2019 द्वारा रू० 9,65,790.00 मात्र (रू० नौ लाख पैंसठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न 01 के अनुसार)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वान बढ़ता प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वधन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन०पी०वी० की बढ़ोत्तरी धनराशि भी जमा कर दी गयी है



इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून

(चालान की प्रत. कलन)/(संलग्न-3)

<p>अभिकरण द्वारा माओ उच्चतम स्तर के रिट पिटीशन (सिविल) 195 के अन्तर्गत आईओसी-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफओसी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी स्त्री निधियों प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रवर्धन एवं योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0वी0-25229, कापीरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चैक की छायाप्रति सडिटे प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफओसी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी स्त्री निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवर्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPAN) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जमा की गई धनराशि उसी के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है (संलग्न 01 से अनुसार)।</p>
<p>6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विभाग कार्य के लिए जनपद कार्यलय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिकों के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यलय के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन के सन्दर्भ में प्रमाण पत्र कलन किया गया है।</p>
<p>7 प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।</p>	<p>प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिका अधिनियम 2006 के आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण संलग्न किया गया है।</p>
<p>8 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>	<p>बिन्दु संख्या 08 हेतु प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।</p>
<p>9 उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।</p>	<p>बिन्दु संख्या 09 हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।</p>

संलग्न-तीन प्रतियों में

प्रबंधक
 (अतिरिक्त)
 प्रभागीय वन अधिकारी
 प्रमुख वन प्रशासक कार्यालय

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फ़ैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक
सेवा में,

1493 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 8 / 11 / 2019

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० हेतु 1.470 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं० 804/X-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12.08.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रति में प्रेषित की गयी है जो दो प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न- आख्या 2 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक

प्रतिलिपि-

अधिसासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को उनके पत्रांक 1884/2ई०व०भू० दि० 23.10.2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकित।



मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1884 / 2ई०वन०भूमि

दिनांक 23 /10/ 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० हेतु 1.470 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं० 804 /X-4-16/1 (230)/2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वनभूमि प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं० 804 /X-4-16/1 (230)/2016 दिनांक 12.08.2016 द्वारा अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

बिन्दु सं०-1 शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त, स्थानों पर पथ वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि क्रमशः रु० 1253481.00 एवं रु० 819275.00 दिनांक 30.03.2019 को चालान सं० SBINR 819089975714 द्वारा जमा करा दी गयी है। **संलग्न है।**

बिन्दु सं०-2 शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा आंकलित की गयी एन०पी०वी० की धनराशि रु० 965790.00 मात्र दिनांक 30.03.2019 को चालान सं० SBINR 819089975714 द्वारा जमा करा दी गयी है। **संलग्न है।**

बिन्दु सं०-3 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानुसार एन०पी०वी० आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई-चालान जनरेट कर कुल धनराशि रु० 3038546.00 का भुगतान चालान सं० SBINR 819089975714 Dated 30.03.2019 द्वारा जमा कर दिया गया है।

बिन्दु सं०-4 शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचन बद्धता कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

(2)

बिन्दु सं0-5 शर्त संख्या 4 व 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation fund (CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त देय धनराशि रु0 3038546.00 का भुगतान ऑन लाइन ई-चालान जनरेट कर दिनांक 30.03.2019 को किया जा चुका है। भुगतान की पुष्टि हेतु बैंक से प्राप्त SBINR 819089975714 Dated 30.03.2019 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु सं0-6 शर्त संख्या 6 के अनुपालन में सूचित करना है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु सं0-7 शर्त संख्या 7 मान्य है।

बिन्दु सं0-8 शर्त संख्या 8 के अनुपालन में वनाधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख यथा-प्रपत्र 30 से 30-3, तक जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्ति, जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा फार्म-1 (कुल 7 नं0) पहले ही प्रस्ताव में 1-6 पर संलग्न किये गये हैं जिनका कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रति संलग्न है।


बिन्दु सं0-9 मान्य है।

बिन्दु सं0-10 मार्ग निर्माण उपरान्त उत्पादित होने वाले अवशेष मलवे का निस्तारण मोटर मार्ग के किनारे खड्ड साईड में प्रस्तावित 7मी0 चौड़ाई के अन्दर ही प्रस्तावित किया गया है जिस पर मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त वन विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले पथ वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में भुगतान की गयी धनराशि से पौधारोपण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या 3 प्रति में नोडल अधिकारी देहरादून को संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति एवं भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न-2 प्रमाण पत्र, नामान्तरण की खतौनी एवं एक ई चालान की प्रति।


भवदीय


(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट


पत्रांक 1884 / 2ई0वन0भूमि दिनांक 23/10/2019

प्रतिलिपि सन्दर्भित पत्र के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड यमुना कालोनी, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।






(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-03-2019

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	6110468026
MoEF/SG File No.	1(230)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshwar
Amount(in Rs)	3038546/-

Amount in Words :Thirty Lakh Thirty-Eight Thousand Five Hundred and Forty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110468026 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

SBIN 819089975714



SBIN 8190899

Photo copy made

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोड लोड वि
कपकोट

22/3/2019

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



बागेश्वर, दिनांक : 12 / 03 / 2019

पत्रांक 2438 / 12-1-19

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० विभाग,
कपकोट।

विषय -

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
दिनांक 22.02.2019।
आपका पत्रांक 362/2ई०व०भू०

सन्दर्भ -
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 804/X-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12.08.2016।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक -972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरो के क्रम में वर्ष 2018-19 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	1.47 हे०	5	0.2	6,57,000.00	9,65,790.00
2	सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण	3.00 कि०मी०	"_"	"_"	4,17,827.00	12,53,481.00
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.94 हे०	"_"	"_"	2,78,665.00	8,19,275.00

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

Photo copy N/m
T/S
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (in PRINCIPLE Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11434/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11434/2015) Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli Motor road (12.00 km) under SCP	ROAD114342015375	6111434375	02 Aug 2018	CA: 2703603/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 2897370/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5600973/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 30 Aug 2019 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 31 Aug 2019 Transaction Date 05 Sep 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/81127124612105A0Q0mudery) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.asp pid=ROAD114342015375)
2	FP/UK/ROAD/10468/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10468/2015) Construction of Kameri Devi to Dhakra motor road (Length 3.00km)	ROAD104682015026	6110468026	12 Aug 2016	CA: 819275/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 965790/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3038546/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Path Vacant Plantation: 1253481/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 19 Mar 2019 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 22 Mar 2019 Transaction Date 30 Mar 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311181281212AETEWdemend) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.asp pid=ROAD104682015026)
3	FP/UK/ROAD/15785/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/15785/2015) Construction of Same to Degti Via Gyandhura motor road (Length 5.00 Km)	ROAD157852015331	6115785331	24 Oct 2016	CA: 2462387/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3193020/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 7934465/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Path Vacant Plantation: 2279058/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 28 Dec 2017 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Jun 2018 Transaction Date 04 Aug 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112312261212TRJRCdemer) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.asp pid=ROAD157852015331)
4	FP/UK/ROAD/19168/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/19168/2016) Construction of Garkhet Lakmara motor road (Length 5.00Km)	ROAD191682016339	6119168339	12 Aug 2016	CA: 1709991/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 2217375/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5826581/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Path Vacant Plantation: 1899215/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 28 Dec 2017 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 30 Dec 2017 Transaction Date 20 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112312221212QLZC/dman) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.asp pid=ROAD191682016339)
5	FP/UK/ROAD/18455/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18455/2016) Construction of Karmi-Baghar-Dhoktigaon motor road (Length 10.00km)	ROAD184552016105	6118455105	17 Jun 2016	CA: 2500387/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3242295/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 9541112/- Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Path/Vacant Plantation: 3798430/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 09 Nov 2017 Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 13 Nov 2017 Transaction Date 03 Mar 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/111171241210CA0722.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.asp pid=ROAD184552016105)

Pran...

704

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 03 नवम्बर 2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्तर्गत कमेडीदेबी से झाकरा तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.470 है० की दुगनी अवनत भूमि 2.940 है० जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 8261 रकवा 3.030 है०, मध्ये 2.940 है०, कुल रकवा 2.940 है० श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 804/X-4-16/1(230)/2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 2.940 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 55 / छब्बीस वन / 2016-17 दिनांक 25 / 11 / 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2-अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

12/11/16

12/11/16

Photo Copy


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या- 63/र०का०/व०भू०ह०/2016-17/दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

नवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।



विषय :-

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्तर्गत कमेडीदेवी से झाकरा तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 1.470 हे० वन भूमि की दुगुनी अवनत वन भूमि 2.940 हे० भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या-55/छब्बीस वन/ 2016-17, दिनांक 25/11/2016 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 8261 रकवा 3.030 हैक्टेयर, मध्ये 2.940 हैक्टेयर, कुल रकवा 2.940 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

9/12/16 (4812016)
मो. नो. 15/12/16

PHOTO COPY AND तहसीलदार
कपकोट।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट

ख (9)

नाम	फसल	खेत नम्बर	रकबा	लगान
		982	211	
		982	226	
		9864	262111	
		9866	92611	
<u>कमरा:</u>				
		8286	980111	
		8282	202	
		8282	202	
		8280	282111	
<u>कमरा:</u>				
		2289	94911	
		2282	381	
		2288	64111	
		2284	381	
<u>कमरा:</u>				
		2309	21	
		2302	4	
		2302	3	
		2308	11	
		2304	2	
मार्ग		262	280843	

विद्यार्थिकायरी बागेश्वर के कोष
 खेती - 55/800000 बन / 2016-17
 दिनांक 25/11/2016 के गारुन्ना 591
 संख्या: 212/4 VIII (11) / 2012-18 (120)
 2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा
 3/12/2012 साल देहातान के पत्र
 संख्या - 804/4-4-16/1 (230) / 2016
 दिनांक - 12 अगस्त 2016 के दो गयी
 शर्तों के अधीन शाय-बघियाकोट
 के 100 ज० कि० खाता सं० 110 के पंजी
 खेत नम्बर 8261 बनाना 3.030 है. म० 2
 2.940 है कुल रकबा 2.940 है शर्तों
 9(3) खेती जंगल के रूप में बना शाय
 को शायपूरक वृक्षारोपण किये जाने
 हेतु बन विकास के पत्र के हस्ताक्षर
 नामान्तरण किये।

Handwritten signature

पतिहस्ताक्षरि: *Handwritten signature*

4
 तहसीलदार
 तहसील कपकोट
 8200 604 800
Handwritten signature
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड ला० 170 वि०
 कपकोट

षक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अप्पर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

12 अगस्त

देहरादून: दिनांक: जुलाई, 2016

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12 / FP/UK/ROAD/10468/2015 दिनांक 02 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.94 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों


Peto Copy Mrs

आवश्यक न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० हेतु 1.470 है० वनभूमि का गैर वानिकीकार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम एवं आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा और जो वृक्ष प्रस्तावित किये गये हैं उनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों का पातन नहीं कराया जायेगा।



सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
कपकोट



आ.अधीशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट
कपकोट (बागेश्वर)

आवश्यक न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० हेतु 1.470 है० वनभूमि का गैर वानिकीकार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

मलवे का निस्तारण प्रस्तावित 7.00 मी० चौड़ाई में दीवार निर्माण कर पासिंग प्लेस बनाते हुए किया जायेगा।



सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट
कपकोट



अधिशारी, आसियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट
कपकोट (बागेश्वर)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी0 हेतु 1.470 है0 वनभूमि का गैर वानिकीकार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट
कपकोट



अधिसासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट
कपकोट

भू वैज्ञानिक के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० हेतु 1.470 है० वनभूमि का गैर वानिकीकार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।



सहायक अभियंता
निर्माण ~~खण्ड~~ ~~लो० नि० वि०~~ कपकोट
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट



अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि० कपकोट
कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना से उत्पादित मलवे के निस्तारण की समानचित्र योजना

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० हेतु 1.470 है०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रस्तावित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी०
मैटर मार्ग के निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे का निस्तारण टास्क फोर्स द्वारा की गयी संस्तुतियों (प्रस्ताव
के पृष्ठ में संलग्न) के अनुसार किया जायेगा एवं तत्पश्चात अवशेष मलवे को मार्ग के किनारे उपलब्ध
अतिरिक्त भूमि में (Passing places) एकत्रित किया जायेगा। मानचित्र संलग्न है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग कपकोट
निर्माण खंड लो.नि.वि. कपकोट
कपकोट


अधीनस्थ अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि. कपकोट
कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लकी देवी से झांकरा तक 3 किमी. मोटर रोड का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम झांकरा
तहसील कांडा, जिला बागेश्वर


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत लकी देवी से झांकरा परियोजना के निर्माण हेतु (----- हे० आरक्षित वन भूमि, ०.21० हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पूंजायत भूमि 1.26० हे०) अर्थात् कुल 1.47 हे० वन भूमि का वन निष्ठा विभाग कपकोट (बागेश्वर) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत झांकरा द्वारा दिनांक 12-12-2014 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम झांकरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि वन निष्ठा विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह० / 
ग्राम सांचेव


दिनांक 12/12/2014
ग्राम पंचायत झांकरा
खण्ड-कपकोट, जनपद-बागेश्वर
प्रथम प्रतियोगिता

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुरार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy 


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

दिनांक 12/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत झाकरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ मान्यताओं के नाम	हस्ताक्षर
1	झाकरा	...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ग्राम प्रधान 12/12/2014
 ग्राम पंचायत झाकरा
 पिनकोड-कपकोट जनपद-बागेश्वर
 80 (बागेश्वर)
 ग्राम प्रधान

- (34) ...
- (35) ...
- (36) ...
- (37) ...
- (38) ...
- (39) ...
- (40) ...
- (41) ...
- (42) ...

PHOTO COPY MADE

...

परियोजना का नाम: जिला योजना के अन्तर्गत जनपद नोएडा में कच्चा देनी से
संकरा तक 3.00 किमी. ग्रेटर गाँव का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत कच्चा देनी से संकरा तक 3.00 किमी.
हे० आरक्षित वन भूमि 0.210 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.26 हे०
भूमि, अर्थात् कुल 1.47 हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लांडा) की दिनांक 20/08/2008 को
सम्मान बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री देवी देवी उप जिलाधिकारी
- 2- श्री सुभाष चन्द्र उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री श्री लालू प्रसाद निहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री श्री जोगेश्वर वीडियो ग्राफर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

परियोजना हेतु.....हे० वन
भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लांडा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनुमति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमति जारी की जा सकती है।

Photo Copy श्री देवी देवी

श्री देवी देवी
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक वि० वि०
रूपकोट

हेतुक में सर्वसम्मति से उपखण्ड

परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु

नि 0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनाहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पुनर्वाचित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद

प्रतिनिधि जिलाधिकारी

को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद

निर्माण खण्ड
विकास खण्ड
जनपद

Photo Copy Alms

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
कयकोट

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date. 13-2-05 at time 3.45 at Bageshwar in which application claiming rights in Jhakara area measuring 1.470 hect for the Construction of **Kameri Devi to Jhakara moter road** in distt Bageshwar (3.00km) of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 13-2-05

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

बिना पत्रिका
बागेश्वर

Photo copy done




सहायक कमिश्नर
निर्माण खण्ड लोड नि० वि०
कपकोट

पत्र-23.3


परियोजना का नाम - जी.एम. योजना के अन्तर्गत कमेडी डेवी से झाकरा तक नहर की निर्माण उक्ति

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद - बाजपुर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित कमेडी डेवी से झाकरा परियोजना के निर्माण हेतु 1.47 हे० वन भूमि लो.ए.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपाखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति झाकरा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी
बाजपुर

नोट :- उक्त पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारवहन लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

P.O. Loby am

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

प्रपत्र-234

परियोजना का नाम :-

जिला योजना के अन्तर्गत कोसी डेवी से आकर
तक 3 किमी मोटर मार्ग निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद कोशी के अन्तर्गत प्रस्तावित कोसी डेवी से आकर
परियोजना के निर्माण हेतु 1.470 हे० वन भूमि कोशी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को
प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफओसी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा
रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारिषण लाईन, ओ०एफओसी० केबिल व
पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से
मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर
आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय
(Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Photo Copy New
Raj

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

जिलाधिकारी

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO.....

Dated.....

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.470** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Kameri Devi to Jhakara moter road in distt Bageshwer district** falls within It is further certified that :-

- (g) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.470** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- (i) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Signature

Dated

(Bhupal Singh Manral)
District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated.....

No.....


To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.470 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Kameri Devi to Jhakara moter road in distt Bageshwar.**

It is further certified that :-

- (m) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.470 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- (n) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- (o) The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Jhakara Village (s) is enclosed as annexure.....
- (p) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- (q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- (r) The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above


Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

डिजिटल मैप :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल-2.94 है०)



- Legend**
- Range Boundary
 - Reserve Forest Area
 - Division Boundary


[Handwritten signature]
 सहायक अभियन्ता

[Handwritten signature]
 अधीक्षक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 कपकोट (बागेश्वर)

जियोरेफेरेन्स मैप :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत कमेडीदेवी से झांकरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल-2.94 है०)

0 0.01250.025 0.05 0.075 0.1 Km

Scale-1:2,500



GPS Coordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 48' 30.33" E	30° 8' 28.11" N
2	79° 48' 34.88" E	30° 8' 30.07" N
3	79° 48' 39.34" E	30° 8' 32" N
4	79° 48' 39.93" E	30° 8' 30.15" N
5	79° 48' 35.67" E	30° 8' 28.44" N
6	79° 48' 31.11" E	30° 8' 26.62" N

Legend
 GPS Coordinates

TSP
 सहायक अभियन्ता

amb
 अधिशाली अभियन्ता